न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 87 / 2024 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2024/133)
पंजीयन दिनांक– 22.04.2024
निर्णय दिनांक– 28.04.2025

1. श्री सत्यनारायण पिता दयाशंकर ब्राह्मण, निवासी मेघपुरा, तहसील बेगूं, जिला जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः– (वक्त बहस)

1. श्री पी. सी. पालीवाल — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अपर कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 340 / 1997 दिनांक 29.09.1997

निर्णय

दिनांक 28.04.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपर कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 340 / 1997 निर्णय दिनांक 29.09.1997 के विरूद्ध दिनांक 22.04.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में बकौल अपीलांट तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट तहसीलदार, बेगूं द्वारा अपीलांट

के विरूद्ध प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेघपुरा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 1039/923/2 रकबा 0.809 का अपीलांट को किये गये आवंटन में अपीलांट द्वारा भू–आवंटन नियमों में दी गई शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जावें, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रकरण संख्या 340/1997 निर्णय दिनांक 29.09.1997 से रेस्पोडेंट तहसीलदार, बेगूं का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.09.1997 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"विपक्षी द्वारा भू–आवंटन नियमों में दी गई शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी को किया गया भू–आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बेगूं उक्त भूमि कब्जे राज लेकर बिलानाम दर्ज करें। "***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 24.04.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट के विरूद्ध संबधित पटवारी से दिनांक 11.07.1997 को तथाकथित रिपोर्ट बना कर उस क्षेत्र से दूर चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर जाकर उसी दिन साइक्लोस्टाईल प्रार्थना पत्र पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रकट किया गया है। वास्तव में उक्त आवेदन का नियमों के अनुसार प्रोपर प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ है, जिससे समस्त कार्यवाही दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल आवेदनकर्ता जिसका उस क्षेत्र की नोटिस तामील की कानूनी जिम्मेदारी है, उन्हीं के द्वारा नोटिस की तामील कराये बिना जल्दबाजी में मात्र दो पेशियों पर संपूर्ण कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जो विधि के विपरीत है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अपीलांट के आवंटन को निरस्त करने का कोई पुख्ता आधार नहीं था। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अपीलांट के विरूद्ध भूमि का आवंटन धोखे से कराये जाने का कोई आरोप नहीं होते हुए मात्र पटवारी की रिपोर्ट जो अपीलांट की अनुपस्थिति में एवं उसकी पीठ पिछे पूर्ति करने के लिए बनाई गई उसके आधार पर आवंटन निरस्ती का प्रार्थना प्रस्तुत करना एवं इसी के आधार पर आवंटन निरस्त करना सरकार की मंशा एवं कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD 2009 Page 685 & RRD 1994 Page 277 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवाल ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 29.09.1997 से पारित

निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.09.1997 को किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 22.02.2024 को अर्थात् 27 वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद पेश की गयी है। अपीलांट ने इसके लिए दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन में यह वर्णित किया है कि अपीलांट के नाम कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और संपूर्ण कार्यवाही उसके परोक्ष में किये जाने से निर्णय दिनांक 29.09.1997 की जानकारी नहीं रही है। हाल ही में क्षेत्र के पटवारी द्वारा मौके पर आवंटन निरस्त होने से भूमि खाली करने को कहा जिससे सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.01.2024 को हुई। अपीलांट द्वारा 27 वर्ष के विलम्ब के लिए जो आधार दिये गये हैं, वे न तो उचित है न ही पर्याप्त है। किसी भी पक्षकार को अपने प्रकरण के सन्दर्भ में 27 वर्षों तक अपने स्तर पर न्यायालय से जानकारी नहीं करना निःसन्देह उसकी वादकरण में रूचि नहीं होना प्रकट करता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया ही मयाद बाहर होकर खारिज योग्य है।

हालांकि अपील मयाद बाहर होने से ही खारिज योग्य है फिर भी हम न्यायहित में यह वर्णन करना उचित समझते हैं कि प्रकरण में वर्णित आराजी अपीलांट को आवंटन उपरांत गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं होकर पडत पडी हुई है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से भी यह प्रतीत होता है की नकल खसरा गिरदावरी एवं पर्चा मौका से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आवंटित आराजी पर अब तक काश्त नही की गई है, जबकि आवंटन के प्रथम वर्ष में ही आवंटित भूमि के आधे भाग पर काश्त किया जाना भू–आवंटन नियमों के तहत आवश्यक है। अपीलांट द्वारा आवंटन उपरांत उक्त भूमि पर काश्त करने संबंधी

ऐसा कोई तथ्य या रेकर्ड पेश नहीं किया है। तद्नुसार अपीलांट द्वारा अपील हेतुक से संबंधित भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट बैरून मयाद होने से खारिज की जाती है।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर